राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

प्रेषित:- (1) समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान ।
(2) समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान ।

क्रमांक:- प.6(17)राज-6/99/13 जयपुर, दिनांक:- 21-8-99

विषय:- जनहित कार्यों के लिए भूमि आरक्षित करने की आवश्यकता और दिशा निर्देश ।

-: प रि प त्र :-

1. विकास की गति को देखते हुए अगले 20 वर्षों में गांवों में किस तरह की सुविधाओं का विस्तार अधिक होने की संभावना है, को ध्यान में रख कर उस प्रयोजन हेतु भूमि आरक्षित की जानी आवश्यक है । ऐसा नहीं करने से जो सुविधाएं आज उपलब्ध है उसके विस्तार हेतु और नई सुविधाएं उपलब्ध कराने में कठिनाई होगी ।

2. इसमें आधारभूत सुविधाओं जैसे :-

1. प्राथमिक	2. उच्च प्राथमिक
3. माध्यमिक	4. उच्च माध्यमिक
5. महाविद्यालय	6. खेल मैदान
7. अन्य शैक्षणिक संस्थाएं	8. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
9. उप स्वास्थ्य केन्द्र	10. आयुर्वेदिक औषधालय
11. पशु चिकित्सालय एवं चिकित्सा केन्द्र ।	12. पेयजल योजनाएं
13. विद्युत केन्द्र/उपकेन्द्र/ग्रिड सब स्टेशन	14. पोस्ट आफिस
15. बस स्टेण्ड / स्टॉप	16. सामुदायिक भवन
17. पंचायत भवन	18. आंगनबाड़ी
19. पटवार घर	20. कृषि विस्तार केन्द्र
21. गौचर यार्ड/हाट	22. चयनित ग्रामीण विकास केन्द्र
23. अन्य सुविधाएं	

उपरोक्त का विस्तार / क्रमोन्नत करने की आवश्यकता की तरफ विशेष ध्यान देना आवश्यक है ।

क्रमशः...2 पर

3. जनसंख्या के बढ़ने से, आबादी विस्तार इत्यादि के लिए भी जमीन की आवश्यकता पड़ेगी । अतः यह आवश्यक है कि इसके लिए भी जमीन अभी से आरक्षित कराई जावे ।

4. गांवों में गोचर , ओरन, तालाब आदि भूमियों के संरक्षण और देखभाल हेतु भी कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए और इस किस्म की भूमि की और आवश्यकता हो तो उसे भी इस हेतु आरक्षित किया जाना चाहिए ।

5. उपरोक्त निर्देशों की पालना में ग्राम पंचायतें/ ग्राम सभाओं के माध्यम से उचित प्रस्ताव लेकर जिला कलेक्टर को प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी एवं जिला कलेक्टर भू-राजस्व अधिनियम की धारा 92 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भूमि आरक्षित करेंगे ।

ये आदेश सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों पर लागू होंगे ।

(शिव कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निबन्धक राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर को सूचनार्थ प्रेषित है ।

शासन उप सचिव

मनोज/20899